बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

-: आदेश :-

PMGSY योजनान्तर्गत कार्यान्वित/निर्मित/अनुरक्षण अवधि में NQM द्वारा निरीक्षण (अप्रैल-2018 से मार्च-2020) के क्रम में पथों को प्रदत्त असंतोषजनक (U) श्रेणी के आलोक में कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अधीन हलसी अवर प्रमंडल अंतर्गत तीन योजनाओं यथा पैकेज सं0-BR-19R-064, BR-1925 एवं BR- 1976 के संदर्भ में मो0 शम्मी अहमद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत से विभागीय पत्रांक 2132 अनु0 दिनांक 10.12.2020 एवं पत्रांक 964 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

दिनांक 29.04.2024 को श्री अहमद का स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें श्री अहमद द्वारा उल्लेख किया गया कि इनका पदस्थापन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के अवर प्रमंडल, हलसी में दिनांक 10.09.2018 से दिनांक 05.07.2019 तक ही था और उक्त अवधि में इन्हें NQM द्वारा ग्रेडिंग-U प्रदत्त नहीं किया गया था।

प्राप्त स्पष्टीकरण पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक (SQC) का मंतव्य मांगा गया। राज्य गुणवत्ता समन्वयक द्वारा दिये मंतव्य में यह कहा गया कि श्री अहमद द्वारा इनके कार्यकाल में NQM द्वारा पाये गये असंतोषजनक पैकेज में से दो पैकेज यथा पैकेज नं0-BR-1925 एवं BR-1976 अभी तक Regrade नहीं हुए हैं। अतएव पैकेज नं0-BR-1925 एवं BR- 1976 regrade होने के पश्चात् ही इनके स्पष्टीकरण पर विचार किया जायेगा।

दिनांक 28.12.2024 को पुनः श्री अहमद का स्पष्टीकरण विभाग को प्राप्त हुआ। जिसमें श्री अहमद ने उल्लेख किया है कि जिन दो पथों क्रमशः पैकेज नं0-BR-1925 एवं BR- 1976 में इन्हें ग्रेडिंग-U प्रदत्त की गयी है उन दोनों पथों का निर्माण पंचवर्षीय रख-रखाव NBCC (कार्यकारी एजेंसी) के द्वारा कराया गया तथा इनके पदस्थापन अवधि दिनांक 10.09.2018 से दिनांक 05.07.2019 तक इनके द्वारा कराये गये किसी भी कार्य में NQM द्वारा ग्रेडिंग-U प्रदत्त नहीं किया गया है। श्री अहमद द्वारा अपने सेवानिवृति (दिनांक 31.01.2024) हो जाने तथा सेवान्त लाभ नहीं मिलने के कारण इनके परिवार पर आर्थिक तंगी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का जिक्र किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित कागजातों के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि NQM द्वारा जिन दो पथों यथा पैकेज नं0-BR-1925 एवं BR- 1976 दिनांक 25.05.2019 को असंतोषजनक श्रेणी प्रदान की गयी थी उन दोनों पथों का Sanction Year क्रमशः 2006-07 एवं 2007-08 है। दोनों पथों में अनुरक्षण अवधि वर्ष 2015 में ही समाप्त हो गया है। उक्त दोनों पथों में NQM द्वारा दिनांक 25.05.2019 को असंतोषजनक श्रेणी प्रदान किया जाना एवं ATR के Regrade के संदर्भ में श्री अहमद को जिम्मेदार समझना उचित प्रतीत नहीं होता है।

ıone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secartary rwd bihar@gmail.com. & secy-reo-@nic.in en(d) 5

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 शम्मी अहमद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–1–441/2018 2583 /पटना, दिनांकः– 27.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–2/अ0प्र0–1–441/2018 2583 /पटना, दिनांकः– 27.9.24

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मो0 शम्मी अहमद, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– ग्राम–अकबर नगर, सरिसवा मेन रोड वार्ड नं०–25, पोस्ट–बेतिया, थाना–मुफसिल, जिला–पश्चिमी चम्पारण, पिन कोड–845438 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

संयुक्त सचिव